संदर्भ: ए-९/३०/११ २८ मार्च २०११

<u>असोसिएशन के सभी संदस्यगण</u>,

विषय: <u>पैसे के भुगतान के विवादों को सुलझाने हेतू संस्थात्मक आर्बिट्रेशन की सेवाएँ</u>

प्रिय महोदय,

आपको यह बताने मे हमे खुशी हो रही है की हमारे सदस्यों के बीच तथा हमारे सदस्य एवं बाहरी सम्बंधी के बीच पैसों के भुगतान के विषय मे विवादों को सुलझाने के लिए संस्थात्मक आर्बिट्रेशन की सेवाएँ प्रदान करने हेतू असोसिएशन ने इंडियन मर्चन्टस चेम्बर (आयएमसी) के साथ पैसों के भुगतान के अपराधों के सम्बंधी विवादों को सुलझाने के लिए मेमोरॅण्डम आफ अन्डरस्टैन्डिंग (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है।

जैसे कि आप जानते है, हम सदस्य उत्पादक तथा रिटैलर्स/डीलर्स के बीच निर्माण होनेवाले भुगतान के विवादों को सुलझाने हेतू हमारी भुगतान अपराध उपसमिती के माध्यम से सेवाएँ प्रदान कर रहे है। यह सेवा एक सुलझाव/मध्यस्थी के रूप मे दी जाती है जिसमे असोसिएशन का यह प्रयास होता है की विवाद के सम्बंधी के साथ वार्तालाप करें तथा विवाद को आपस में सुलझाएँ । लेकिन अगर भुगतान अपराध उपसमिती विवाद को आपस में सुलझाने हेतू विवाद के सम्बंधी को प्रोत्साहित करने में कामयाब नही होती तो सदस्यों को कोर्ट के जरिये या तो विशेष आर्बिट्रेशन के माध्यम से अपने विवाद को सुलझाना पडता था तथा इस विषय में असोसिएशन अधिक सहायता नही कर सकती थी ।

आपको अधिक सेवाएँ देने मे असोसिएशन अधिक उत्सुक थी लेकिन संस्थात्मक आर्बिट्रेशन की सेवाएॅ प्रदान करने हेतू उसके पास ऐसी कोई यंत्रणा नही थी जिसमें आर्बिट्रेटर्स का ऐसा पैनल हो जिन्हे व्यापार के विषय की पूरी जानकारी हो और उसके साथ ही प्राकृतिक न्याय के तत्वों के अनुसार समस्या को सुनकर निर्णय देने की क्षमता के साथ कानून की जानकारी हो । इसलिए असोसिएशन ने इंडियन मर्चन्टस चेम्बर के साथ, जिसके हम भी सदस्य हैं, मेमोरैण्डम आफ अन्डरस्टेन्डिंग पर हस्ताक्षर किए है जिसका उद्देश्य है सदस्यों के बीच तथा सदस्य एवं बाहरी लोगों के बीच निर्माण हुए व्यवसायिक विवाद को, जिनका प्रत्यक्ष चर्चा के माध्यम से एवं सुलझाव/मध्यस्थी के माध्यम से निवारण न हुआ हो ऐसे विवाद को सुलझाने के लिए यंत्रणा प्रदान करना ।

सीएमएआई तथा आईएमसी द्वारा हस्ताक्षर किए हुए मेमोरैण्डम ऑफ अन्डरस्टैन्डिंग के अनुसार आर्बिट्रेटर्स का एक पैनल तैयार किया गया है जिसमे द क्लोदिंग मैन्युफैक्चरर्स असोसिएशन आफ इंडिया एवं इंडियन मर्चन्टस चेम्बर्स मेसे व्यवसायिक तथा उद्योजक व्यक्तींयो को लिया गया है जिन्हे व्यापार तथा उद्योग के विषय का ज्ञान हो जिसका आप हिस्सा हैं तथा कानून के क्षेत्र से हो जो कि वकील, कौन्सेल एवं/तथा सालिसिटर्स को लिया गया है ।

....२/-

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA
902, Mahalaxmi Chambers, 22 Bhulabhai Desai Road, Mumbai – 400 026
Tel : +22-2353 8245, 2353 8986, 2352 5168 • Fax : +22-2351 5908
Email : cmai@hathway.com, cmai@vsnl.com • Website : www.cmai.in
Bangalore • New Delhi • Pune

संस्थात्मक आर्बिट्रेशन की सेवाएँ प्रदान करने के लिए इंडियन मर्चन्ट चेम्बर के पास पूरी सुविधाएँ उपलब्ध है जिसमे अगर आप असोसिएशन की भुगतान अपराध उपसमिती के माध्यम से सुलझाव/मध्यस्थी के जरिये विवाद का निवारण नही पा सकते तो आप इंडियन मर्चन्टस चेम्बर के आर्बिट्रेशन के नियमो के अनुसार विवाद को इंडियन मर्चन्टस चेम्बर के सामने रख सकतें हैं । इंडियन मर्चन्टस चेम्बर के आर्बिट्रेशन के नियम सीएमएआई के वेबसाईटः www.cmai.in या आईएमसी की वेबसाईटः www.imcnet.org पर ‘कोर्ट आफ आर्बिट्रेशन‘ के शीर्षक के अंतर्गत दिए है। संस्थात्मक आर्बिट्रेशन की सेवाओं के लिए आर्बिट्रेटर्स तथा इंडियन मर्चन्टस चेम्बर को भुगतान करने के शुल्क के सम्बंधी नियमों के परिशिष्ट के अलावा इंडियन मर्चन्टस चेम्बर के संस्थात्मक आर्बिट्रेशन की सेवाओं का उपयोग करने हेतू यह नियम आपको लागू होंगे ।

सीएमएआई - आईएमसी – आर्बिट्रेटर्स का पैनल

व्यवसायिक/उद्योजक

१. **श्री. सुरेश कोटक**
चेअरमन तथा मैनेजिंग डाईरेक्टर
कोटक एण्ड कं.लिमि.

२. **श्री. राजेश मसंद**
व्हाईस प्रेसिडैंट, सीएमएआई
मेसर्स गैम्बिट क्लोदिंग प्राई. लिमि.के भागिदार

३. **श्री. दिनेश नंदू**
सदस्य, सीएमएआई
मेसर्स आरी के भागिदार

४. **श्री. अमित रूपारेलिया**
डेप्यु. चेअरमन, टेक्स्टाईल एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौन्सिल,
ट्रेन्ड सेटलर्स के चेअरमन

५. **श्री. पवन संघाई**
मैनेजिंग डाईरेक्टर
आर्. जे. निटवेअर्स लिमि.

६. **श्री. अशोक शाह**
चेअरमन, मेम्बरशिप डिवेलपमेन्ट उपसमिती, सीएमएआई
मेसर्स जनरेशन के भागीदार

....३/-

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA
902, Mahalaxmi Chambers, 22 Bhulabhai Desai Road, Mumbai – 400 026
Tel : +22-2353 8245, 2353 8986, 2352 5168 • Fax : +22-2351 5908
Email : cmai@hathway.com, cmai@vsnl.com • Website : www.cmai.in
Bangalore • New Delhi • Pune

७. **श्री. हितेन शहा**
जनरल सेक्रेटरी, सीएमएआई
मेसर्स हीना ऐपरेल्स के प्रोप्राईटर

८. **श्री. एस्. एल. शहा**
ट्रेड रिड्रैसेल उपसमिती, सीएमएआई
आऊट पोस्ट के प्रोप्राईटर

९. **श्री. परेश व्होरा**
सदस्य, सीएमएआई
मेसर्स युनिटी ट्रेडर्स के भागीदार

<u>वकील/कौन्सेल/सालिसिटर्स</u>

१. **श्री. नुसरत हसन,**
वकील,
डी. एच्. लॉ असोसिएटस, वकील तथा सॉलिसिटर्स, के भागीदार

२. **श्री. तुशार मवानी,**
को-चेअरमन, आईएमसी कोर्ट आफ आर्बिट्रेशन तथा कनिसिलिएशन समिती,
भागीदार, अमरचंद मंगलदास,
वकील तथा सॉलिसिटर्स

३. **श्री. गौतम मेहता,**
कौन्सेल

४. **श्रीमती रेनू पारीख,**
वकील
एएलएमटी लिगल के भागीदार, वकील तथा सॉलिसिटर्स

५. **श्री. प्रथमेश पोपट,**
को-चेअरमन, लॉ: रिव्ह्यू , रिफार्मस एवं रैशनलैझेशन समिती,
आईएमसी कौन्सेल, आर्बिट्रेटर तथा मेडिएटर

...४/-

अगर भुगतान अपराध उपसमिती के माध्यम से असोसिएशन के नियमो के अनुसार सुलझाव/मध्यस्थी के जरिये विवाद का निवारण नही होता तो आर्बिट्रेशन की सेवाओ का उपयोग करने के लिए, यह विवाद आर्बिट्रेशन पर सौपने के विषय में विवाद के सम्बंधी मे सहमती होना पुरी तरह से आवश्यक है इसलिए आपके सभी व्यवसायिक कंत्राटो मे, जैसे की पर्चेस ऑर्ड़र एवं इन्व्हाईस पर, निम्न परिच्छेद को छापना अनिवार्य है ।

‘‘इस कंत्राट के विषय मे सम्बंधी के बीच किसी भी प्रकार का कोई विवाद या मतभेद निर्माण होता है तो वह द क्लोदिंग मैन्युफैक्चरर्स असोसिएशन के कन्सिलिएशन के नियमों के अनुसार निवारण के लिए भुगतान अपराध उपसमिती के न्यायप्रभुत्व अधिकार क्षेत्र में होगा एवं फिर भी अगर उसका निवारण नही मिलता तो सीएमएआई एवं आईएमसी के बिच एमओयू के अनुसार इंडियन मर्चन्टस चेम्बर के आर्बिट्रेशन के नियमों के अनुसार यह विवाद आर्बिट्रेशन पर सौप दिया जाएगा एवं इस माध्यम से प्राप्त निर्णय अंतिम तथा सभी सम्बंधी पर बन्धक होगा ।‘‘

हम सभी सम्बंधी को यह सलाह देतें हैं की उपर दिया हुआ विवरण सम्बंधी दस्तावेज पर छापने की सावधानी बरते अन्यथा रिटेलर्स के थकित भुगतान के विषय में आपकी सहायता करना असोसिएशन को संभव नही होगा ।

हमारे वेबसाईटपर उपलब्ध तक्रार प्रपत्र के साथ निम्न दस्तावेज पेश करने की अधिक सलाह सदस्यों को दी जाती है ।

१) अपराधी का पूरा पता, तथा दूरभाष /प्रोप्राईटर /निदेशक/भागीदार का मोबाईल क्रमांक

२) स्वीकार की हुई शर्तों की जानकारी

३) माल भेजने का /स्वीकृती का सबूत

४) वापस किए हुए माल का मूल्य

५) इन्वाईस के लिए प्राप्त कुल रकम

६) शेष थकित रकम

७) ब्याज, कुछ हो तो

८) एजन्ट का नाम (कुछ हो तो) एवं उसका पता तथा दूरभाष क्रमांक

९) रिटेलर के साथ पत्रव्यवहार की नकल

१०) रिटेलर के साथ व्यवहार करनेवाले अन्य मैन्युफैक्चरर्स के नाम / पता / दूरभाष क्रमांक

उपरी जानकारी प्राप्त होने के पश्चात, असोसिएशन आपकी केस असोसिएशन के कन्सिलिएशन तथा आर्बिट्रेशन उपसमिती के सामने रखेगी । उपसमिती द्वारा उचित प्रयास के पश्चात अगर केस का हल नही निकला तो उस विषय को अंतिम निराकरण के लिए सीएमएआई - आईएमसी कन्सिलिएशन तथा आर्बिट्रेशन पैनल पर सौपा जाएगा ।

....५/-

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA
902, Mahalaxmi Chambers, 22 Bhulabhai Desai Road, Mumbai – 400 026
Tel : +22-2353 8245, 2353 8986, 2352 5168 • Fax : +22-2351 5908
Email : cmai@hathway.com, cmai@vsnl.com • Website : www.cmai.in
Bangalore • New Delhi • Pune

आपको संस्थात्मक आर्बिट्रेशन की सेवाए प्रदान करने हेतू आर्बिट्रेटर्स एवं इंडियन मर्चन्टस चेम्बर को प्रशासनिक सेवाओ के लिए शुल्क का विशेष पैकेज तैयार किया गया है जिससे इंडियन मर्चन्टस चेम्बर के संस्थात्मक आर्बिट्रेशन की सेवाओ का आप अत्यंत कम खर्च में लाभ ले सकते है। आर्बिट्रेटर्स के पैनेल की सूचि नीचे दी गई है :

आर्बिट्रेटर का शुल्क (हरेक आर्बिट्रेटर के लिए) तथा ऐडमिनिस्ट्रेशन शुल्क, हरेक केस के अंतर्गत विवाद रकम के अनुसार स्वतंत्र रूप से निम्न के अनुसार तय किया जाएगा एवं दोनो सम्बंधी उसका समान भुगतान करेंगे ।

दावा रकम	आर्बिट्रेटर का शुल्क	आईएमसी प्रक्रिया शुल्क
रू.२.०० लाख तक	२,०००.००	२,०००.००
रू.२.०० लाख से अधिक तथा रू.५.०० लाख तक	७,५००.००	३,०००.००
रू.५.०० लाख से अधिक तथा रू.१०.०० लाख तक	१५,०००.००	६,०००.००
रू.१०.०० लाख से अधिक	२०,०००.००	८,०००.००

सदस्यों को अधिक जानकारी दी जाती है की आर्बिट्रेटर्स ने अपना निर्णय देने के पश्चात, वह निर्णय कोर्ट के आदेश जैसा होगा जिसकी आपका पैसा वसूल करने हेतू कार्यवाही की जा सकती है ।

इसलिए सदस्यों को उपरी नियमों का दृढता से पालन करने की सलाह दी जाती है ता कि किसी विवाद निर्माण होने के समय वह आर्बिट्रेशन को सौपा जा सकता है ।

धन्यवाद तथा हमारी सर्वोत्कृष्ट सेवाओं के विश्वास के साथ.

आपका भवदीय

पी. चंद्रशेखरन
सेक्रेटरी

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA
902, Mahalaxmi Chambers, 22 Bhulabhai Desai Road, Mumbai – 400 026
Tel : +22-2353 8245, 2353 8986, 2352 5168 • Fax : +22-2351 5908
Email : cmai@hathway.com, cmai@vsnl.com • Website : www.cmai.in
Bangalore • New Delhi • Pune